न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 03 / 2023

अपीलांट– ***बनाम*** **रेस्पोडेंट–**

जेठाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी सियोलो का डेर ग्रा.पं. सदरामाणियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

1. हनुमानराम पुत्र वीरमाराम जाति सुथार निवासी सियोलो का डेर ग्रा. पं. सदरामाणियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 692 दिनांक 17.12.2004 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश चौधरी, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रर्फोमा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 02.07.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा ग्राम सियालो का डेर के खसरा नंबर 692 कुल रकबा 13–15 बीघा भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 17.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम सियालो का डेर के खसरा नंबर 692 कुल रकबा 13–15 बीघा के खातेदारान हनुमानराम वल्द वीरमाराम जाति सुथार, जेठाराम वल्द मानाराम कौम जाट साकिन सियोलो का डेर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर द्वारा ''प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004'' को दिनांक 17.12.2004 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी पीपराली द्वारा उक्त विभाजन [illegible] रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के वि[illegible]रान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी [illegible]सार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लग[illegible] का वितरण सही है। अ[illegible]मति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित है। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गुड़ामालानी द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2004 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.02.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पों सं. 2 की संयुक्त खातेदारी ग्राम सियालो का डेर के खसरा नंबर 692 कुल रकबा 13–15 बीघा भूमि आयी हुई है। जिसका आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश किया जिस पर नये खसरा नम्बर 692/3 रकबा 03–09 बीघा और खसरा नंबर 692 रकबा 10–06 बीघा दर्ज किया गया। जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा और उतरदाता संख्या 01 का 3/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था। अपीलांट अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट को धोखे में रखते हुए गलत रूप से बंटवाडा का नक्शा प्रस्तुत किया गया, जिस नक्शे में उस समय न तो रंग भरा हुआ था और न ही अलग से तरमीम की गई थी। अपीलांट को बताया गया था कि उसे उसके हिस्से की भूमि सड़क पर दी गई है परन्तु उतरदाता संख्या 1 द्वारा अपीलांट को धोख में रखकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव "प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004" में तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने उक्त विभाजन प्रस्ताव को तस्दीक कर भूमि का बंटवाडा कर दिया। उक्त कृषि जोत के विभाजन के संबंध में यह आवश्यक हैं कि भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दुओं को अनदेखा कर अधीनस्थ तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे व तरमीम के बारे मे ज्ञात अपीलांट को नहीं होने दिया तथा अरसा 20–25 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 1 जगमाल की नेखमबंदी करने का प्रयास किया व उसका नोटिस अपीलांट को दिया। इसके पश्चात अपीलांट को अपने

हक हकूक पर संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की जांच करवाई तो मौके पर अपीलांट को सड़क कोई जमीन नही दी गई और न ही कोई सड़क पर आने का रास्ता रखे जाने की जानकारी दी। जिस पर अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश की प्रति दिनांक 20.01.2023 प्राप्त की तथा अपीलांट को सर्वप्रथम इस गलत विभाजन की जानकारी हुई। अपीलांट ने जानकारी होने से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं फिर भी सद्भाविक एवं अज्ञानता वश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश हैं।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 263, 267, 292, 293, 294 ग्राम सियालो का डेर के खसरा नंबर 692 कुल रकबा 13–15 बीघा के खातेदारान हनुमानराम वल्द वीरमाराम जाति सुथार, जेठाराम वल्द मानाराम कौम जाट साकिन सियोलो का डेर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर द्वारा "प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004" को दिनांक 17.12.2004 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी पीपराली द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2004 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में राजस्व "प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004" में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम सियालो का डेर के खसरा नंबर 692 कुल रकबा 13–15 बीघा के खातेदारान हनुमानराम वल्द वीरमाराम जाति सुथार, जेठाराम वल्द मानाराम कौम जाट साकिन सियोलो का डेर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर द्वारा "प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004" को दिनांक 17.12.2004 को तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी पीपराली द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2004 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.02.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा गुणावगुण के सम्बन्ध में प्रकट किया कि दो सह खातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब दोनो पक्षो की भूमि सड़क पर रखनी चाहिए था ताकि दोनो पक्षकारों को सड़क आवागमन आदि सुविधा प्राप्त कर सके परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तहसीलदार गुड़ामालानी ने इन अहम मुद्धो को अनदेखा कर विधिक भूल की है। जबकि अपीलांट को अपने खेत से सड़क तक पहुचने के लिये कोई रास्ता भी रखा गया अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 263, 267, 292, 293, 294 ग्राम सियालो का डेर के खसरा नंबर 692 कुल रकबा 13–15 बीघा के खातेदारान हनुमानराम वल्द वीरमाराम जाति सुथार, जेठाराम वल्द मानाराम कौम जाट साकिन सियोलो का डेर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर द्वारा "प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004" को दिनांक 17.12.2004 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी पीपराली द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2004 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति में राजस्व "प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004" में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधिनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 19 वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested